संचिका सं0–म० / बजट–05 / 2026 ......67....... /

बिहार सरकार

डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग

(मत्स्य निदेशालय)

प्रेषक,

निदेशक मत्स्य,
बिहार, पटना।

सेवा में,

संयुक्त मत्स्य निदेशक (मु0),
मत्स्य निदेशालय, बिहार, पटना।

मत्स्य / पटना, दिनांक 09.06.2026 /

विषय : **वित्तीय वर्ष 2026–27 में राज्य स्कीम अन्तर्गत मत्स्य निदेशालय के पुनर्गठन योजना" के तहत आउटसोर्सिंग के माध्यम से सेवा प्रदाता संस्थान से मानव बल की सेवा प्राप्त किये जाने हेतु स्वीकृत कुल ₹657.77 लाख (छः करोड़ संतावन लाख सतहतर हजार रु0) मात्र के अन्तर्गत प्रथम चरण में 33 प्रतिशत कुल ₹217.06410 लाख (दो करोड़ सतरह लाख चार हजार चार सौ दस रू0) मात्र आवंटन की स्वीकृति।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के अन्तर्गत संलग्न विवरणी–I के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष 2026–27 में व्यय को वहन करने हेतु विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–6एस0एस0(6)46 / 2025–2556 दिनांक–29.05.2026 के आलोक में मत्स्य निदेशालय के पुनर्गठन योजना" के तहत आउटसोर्सिंग के माध्यम से सेवा प्रदाता संस्थान से मानव बल की सेवा प्राप्त किये जाने हेतु स्वीकृत कुल **₹657.77 लाख (छः करोड़ संतावन लाख सतहतर हजार रु0) मात्र के अन्तर्गत प्रथम चरण में 33 प्रतिशत कुल ₹217.06410 लाख (दो करोड़ सतरह लाख चार हजार चार सौ दस रू0)** मात्र, व्यय का वहन करने हेतु आवंटित किया जाता है।

2. इस आवंटित राशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2026–27 में मांग संख्या–02, मुख्य शीर्ष–2405–मछली पालन, उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–001–निदेशन तथा प्रशासन, उप शीर्ष–0101–मत्स्य निदेषालय का पुनर्गठन विपत्र कोड–02–2405000010101 के विषयशीर्ष–0101.28.02–संविदा सेवायें मद के अंतर्गत विकलित किया जाएगा।
3. योजनान्तर्गत आवंटित राशि को बी0एल0डी0ए0 के पी0एल0 खाता में संचित कर व्यय की जाएगी जिसे लक्ष्यानुसार जिलों को अंतरित किया जाएगा।
4. वित्त विभाग के पत्रांक–2561 वि0(2) दिनांक–17.04.1998 एवं पत्रांक–12888 दिनांक–03.12.2024 के आलोक में राशि आवंटित की जा रही है तथा राशि की निकासी में उक्त परिपत्र के प्रत्येक अनुदेश का अनुपालन आपके द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।
5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का यह दायित्व है कि वित्तीय नियमावली के भाग–1 के नियम–475 का अनुपालन दृढ़ता पूर्वक करें, ताकि व्यय पर नियंत्रण रखा जा सके और किसी भी हालत में आवंटित राशि से अधिक व्यय नहीं हो।
6. आवंटित राशि में हुए व्यय की सूचना टी0भी0 नम्बर एवं तिथि के साथ अधोहस्ताक्षरी को प्रत्येक माह की 5वीं तारीख तक निश्चित रूप से उपलब्ध करा दें अन्यथा इसकी सारी जबावदेही आपकी होगी।
7. वित्तीय वर्ष 2026–27 का प्रत्यर्पण प्रतिवेदन 25.03.2027 तक अवश्य भेज दें।
8. राशि का विचलन अन्य मदों में नहीं किया जाएगा।
9. निकासी की गई राशि का विस्तृत विपत्र निर्धारित अवधि में महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को विधिवत समर्पित किया जाएगा।

अनुलग्नक :–विवरणी–I में पृष्ठ–1

विश्वासभाजन

9/6/26

निदेशक मत्स्य

ज्ञापांक : म०/बजट–05/2026 ......57......./ मत्स्य/पटना, दिनांक : ....09.06.2026......../

प्रतिलिपि :

1. विवरणी–I की प्रति के साथ महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
2. विवरणी–I की प्रति के साथ कोषागार पदाधिकारी, (सभी) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
3. विवरणी–I की प्रति के साथ जिला पदाधिकारी, (सभी)/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, (सभी) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
4. विवरणी–I की प्रति के साथ विभागीय योजना एवं बजट शाखा, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग/संयुक्त मत्स्य निदेशक (सभी)/उप मत्स्य निदेशक, (सभी)/जिला मत्स्य पदाधिकारी –सह– मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी (सभी)/रोकड़पाल, मत्स्य निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
5. विवरणी–I की प्रति के साथ सचिव, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
6. आई0टी0 मैनेजर, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं अनुरोध है कि इसे अनुलग्नक सहित विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने की कार्रवाई की जाए।

8/6/26

निदेशक मत्स्य

अनुलग्नक–I

वित्तीय वर्ष 2026–27 में राज्य स्कीम अन्तर्गत मत्स्य निदेशालय के पुनर्गठन योजना" के तहत आउटसोर्सिंग के माध्यम से सेवा प्रदाता संस्थान से मानव बल की सेवा प्राप्त किये जाने हेतु आवंटन।

(राशि लाख में)

क्र0	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	मांग संख्या–02, मुख्य शीर्ष–2405–मछली पालन, उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–001–निदेशन तथा प्रशासन, उप शीर्ष–0101–मत्स्य निदेशालय का पुनर्गठन विपत्र कोड–02–2405000010101 के विषयशीर्ष–0101.28.02–संविदा सेवायें मद		अभ्युक्ति
		कुल स्वीकृत राशि	वर्तमान आवंटन (33 प्रतिशत)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	निदेशक मत्स्य, बिहार, पटना	657.77000	217.06410	योजनान्तर्गत स्वीकृत राशि को बी०एल०डी०ए० के पी०एल० खाता में संचित कर व्यय किया जाएगा।

₹217.06410 लाख (कुल दो करोड़ सतरह लाख छः हजार चार सौ दस रु0) मात्र।

9/6/26

निदेशक मत्स्य